

चिन्हित वन स्वरूप भूमि न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि० द्वारा मथुरा-सादाबाद मार्ग कि०मी० 36.590 की वांयी पटरी के खसरा संख्या-161 ग्राम अतुरा तहसील सादाबाद जिला हाथरस में प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित 0.0604885646 है० संरक्षित वनभूमि चिन्हित 'वन स्वरूप क्षेत्रों' की भूमि के अन्तर्गत नहीं आती है।


RAKESH GUPTA

Dy. General Manager-Retail
and Duty Consented Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)



(मुकेश शर्मा)

प्रभागीय वनाधिकारी,

हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

 20/6/18